बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या 31

पटना
दिनांक 18/6/2001

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- श्री दीपक प्रसाद, जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत मुख्य सचिव के परिपत्र के निदेशों का उल्लंघन कर सरकार के कार्य में इस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित कृपया विभागीय परिपत्र संख्या-14/प्र2-2012/90का0-5728, दिनांक- 21 मई, 1990, पत्र संख्या-12/एम-1011/-91/का0-6900, दिनांक- 14 मई, 1991 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या-मंमं0स0-2/वि03-9011/95-2721, दिनांक-16 अगस्त,96 जो सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सम्बोधित है {प्रति संलग्न} का अवलोकन रेखांकित अंश के साथ विशेषकर अवलोकन करेंगे ।

इससे भवदीय को स्पष्ट होगा कि मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से निदेश दिया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी या ऐसे पदाधिकारी, जिनका स्थानान्तरण एवं पदस्थापन माननीय मुख्य मंत्री के आदेश से होता है, का स्थानान्तरण या पदस्थापन/निलंबन का अधिकार क्षेत्रीय पदाधिकारियों या विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी को नहीं है । इससे जहाँ पदाधिकारी का मनोबल गिरता है एवं कर्त्तव्य क्षमता

.....पृ0/2

र प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O)
286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या..........................

पटना
दिनांक..............................

का ह्रास होता है, वहीं सरकार ने ऐसी कार्रवाई को स्पष्टत: सरकार के कार्य में हस्तक्षेप माना है । ऐसे पदाधिकारी को सरकार ने उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का भी निदेश दिया है ।

महोदय, सरकार ने खुद अपने पत्र में ऐसे दृष्टांत का उल्लेख करते हुए अपने दायरे में रहकर ही कार्य करने के साथ उक्त निदेश निर्गत किये हैं, फिर भी आपके कुछ वरीय एवं कनीय पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी अपने अपरिमित शक्ति से बदहवास हो, शक्ति के नशे में मदमत्त हाथी की तरह बेलगाम होकर सरकार के उक्त आदेशों को धत्ता बता रहे हैं, जो सरकार के लिये चिंता का विषय होना चाहिए ।

ऐसे ही एक मामला में मगध प्रमंडल के आयुक्त ने नवादा जिले के पकड़ीबरावां के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री बृज मोहन पाण्डेय को पंचायत निर्वाचन के मतगणना में कर्त्तव्यहीनता के आरोप में बिना सम्बन्धित पदाधिकारी स्पष्टीकरण प्राप्त किये निलम्बित कर मुख्यालय तक निर्धारित कर दिया है, जबकि सरकार का उपरोक्त परिपत्रों के साथ अन्य परिपत्र द्वारा भी निदेशित किया जा चुका है कि ऐसे पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किये जाएं, स्पष्टीकरण प्राप्त करें, परन्तु किसी भी स्थिति में दमनात्मक कार्रवाई सीधे न की जाए । लेकिन आपके मदमत्त पदाधिकारियों पर सरकारी निदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं उनका मनोबल तब और बढ़ जाता है, जब उनके ऐसे कृत्य की सम्पुष्टि कर दी जाती है । इस सम्बन्ध में हमने आपको अलग से भी सूचित करते हुए मगध प्रमंडल के आयुक्त के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध

..........पृ0/3

प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या.....

पटना
दिनांक.....

किया है । मगध प्रमंडल की यह पहली घटना नहीं है । श्री ए०सी०रंजन, तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त ने पूर्व में भी एक वरीय पदाधिकारी के साथ ऐसा ही कुछ किया था एवं हाल में जल संसाधन आयुक्त श्रीमती राधा सिंह ने भी एक उप सचिव के साथ ऐसा ही किया है, जिसकी जानकारी भवदीय को है ।

सबसे ताजा उदाहरण ऐसे ही मदहोशी मुक्त बहशयानापन आदेश पटना के जिलाधिकारी, श्री दीपक प्रसाद का हुआ है, जिसके अनुसार इन्होंने पटना सदर के अधिसूचित अंचल अधिकारी श्री नजीर अहमद को अपने प्रभार से मुक्त कर जिला नियंत्रण कक्ष में बुला लिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर प्रभार दिलाने का कार्य भी सुनिश्चित किया । {आदेश की छाया प्रति संलग्न} ।

श्री अहमद का दोष इतना ही है कि उसने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन सम्बन्धी जिला पदाधिकारी के ही आदेश{प्रति संलग्न} से एक समयबद्ध सीमा के तहत अनुपालन का कार्य किया।अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एक तरफा जाँच के अध आधार पर राजनीतिक दबाव में आकर जिला पदाधिकारी ने पहले स्वयं स्थानान्तरण कर जिला नियंत्रण कक्ष में योगदान करने का आदेश दिया एवं राजनीतिक कारणों से उसे प्रताड़ित करने की कार्रवाई कर रहे हैं ।

आप अब स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि ऐसे राजनीतिक दबाव में आकर अगर सरकारी आदेश के अनुपालन में पदाधिकारी को ही दण्डित होना पड़े तो भविष्य में हमारे पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के ऐसे आदेश मानने को बाध्य हो, के बारे में सोचना पड़ेगा । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कैसे होगा । अगर होगा तो जिलाधिकारी को उन सब साधन एवं सभी विभाग.....पृ0/4

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O) / 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
[illegible] नारायण सिंह
([illegible] एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या..........................

पटना
दिनांक..............................

को अपने साधनों के साथ प्रतिनियुक्त करना होगा जो इस मामले में ~~[illegible]~~ समन्वित रूप से नहीं कराया गया था । यदि ऐसे मामलों को सरकार के द्वारा जिला पदाधिकारी की कार्रवाई को सम्पुष्ट कर प्रोत्साहित किया जाता है तो वह दिन दूर नहीं जब सरकारी आदेशों का मनोनकूल उल्लंघन हो एवं प्रशासनिक अराजकता कायम हो । आये दिन प्रशासनिक/पुलिस/राजनेता/कार्यकर्त्ता के बीच हो रहे कांडों का अनुभव तो है ही, न्यायिक सेवा वर्ग तक को धमकाया जा रहा है ।

उपरोक्त स्थिति में आपसे अनुरोध है कि तत्काल ऐसे उन्मद, बेलगाम, मदांध पदाधिकारी पर अंकुश लगाया जाय तथा जिला ~~[illegible]~~ पदाधिकारी, पटना को अपना आदेश वापस लेकर अंचल पदाधिकारी (पटना) श्री नजीर अहमद को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करने का आदेश दें एवं प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को भी ऐसा ही निदेश दें ताकि सरकार के मुख्य सचिव के आदेश का शत-प्रतिशत अक्षरशः अनुपालन हो । इसीसे सरकार एवं मुख्य सचिव के पद एवं आदेश की गरिमा रह सकेगी ।

अगर अविलंब ऐसा नहीं किया गया तो हमें अपने सदस्यों को सरकारी कार्य करने के सम्बन्ध में अलग से निदेश देना पड़ेगा एवं ऐसा होने पर अगर अराजक स्थिति बनती है, तो इसकी जिम्मेवारी हमारे सदस्यों की नहीं होगी ।

ह0/- 16.6.2001

(गंगाधर लाल दास)
महासचिव ।

ज्ञाप संख्या-31 पटना, दिनांक- 18 जून, 2001 ई0 ।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

16.6.2001

(गंगाधर लाल दास)